



लखनऊ विकास प्राधिकरण

ISO 14001:2004, ISO 9001-2008 प्रमाणित संस्था

विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

दूरभाष : 0552-2397177, 2303133, फ़ैक्स : 0522-2395554

पासपोर्ट
साइज फोटो
(आवेदक-1)

पासपोर्ट
साइज फोटो
(आवेदक-2)

सक्षम अधिकारी-लखनऊ विकास प्राधिकरण

पंजीकरण फार्म नम्बर.....

मैं / हम / श्री / श्रीमती.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....वर्ष.....
.....निवासी.....शपथ पूर्वक यह घोषणा करता / करती / करते हैं कि :-

1. मैं / हम भारत का नागरिक हूँ / हैं ।
2. शपथी या उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक एवं पति / पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) के पास प्रश्नगत अभिकरण के विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना भूखण्ड / भवन तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों अथवा संस्थाओं द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड / भवन / प्लैट नहीं है। यदि घोषणा भविष्य में असत्य पायी जाये तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटित भूखण्ड / भवन निरस्त कर दे तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर ले। यदि सम्पत्ति की रजिस्ट्री हो गई हो तो भी इस मिथ्या निरूपण के कारण जुर्माने / दण्ड स्वरूप रजिस्ट्रीकृत सम्पत्ति के मूल्य के बराबर धनराशि भू-राजस्व की भांति मुझसे वसूल कर ले।
3. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा / करूँगी।
4. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा / करूँगी। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त कारण से आवंटित सम्पत्ति प्राधिकरण द्वारा निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं वे सत्य हैं।
6. मेरे द्वारा पंजीकरण फार्म में खाता सम्बन्धी विवरण दिया गया है वह कम से कम अगले तीन वर्ष तक मान्य होगा।

शपथी